हरियाणा सरकार

सचिवालय स्थापना संगठन
(स्थापना – I शाखा में)

अधिसूचना

दिनांक 31 अक्तूबर, 2014

संख्या सा०का०नि० 47/संवि० अनु० 309/2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी III) नियम, 1952 हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी III), हरियाणा संशोधन नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा श्रेणी III), नियम, 1952 में, नियम 5 में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(क) लिपिक

सीधी भर्ती या स्थानान्तरण हेतु

यदि हरियाणा सिविल सचिवालय से अन्यथा सरकारी विभागों में नियोजित कर्मचारियों में से सीधी या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया गया है,

(i) 10+2 प्रथम श्रेणी अथवा स्नातक या इसके समकक्ष; और

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

10+2 प्रथम श्रेणी या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा तथा सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र;

दिनांक 07.011.2013 से पहले नियुक्त किए गए पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति हेतु

यदि श्रेणी--III कर्मचारियों, जिनका वेतनमान लिपिक से कम है, या श्रेणी--IV कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है; (i) मैट्रिक; और (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;	श्रेणी III के किसी भी पद, जिसका वेतनमान लिपिक से कम हो, या चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव या ऐसे श्रेणी--III तथा IV पदों पर संयुक्त अनुभव।

दिनांक 07.11.2013 को या उसके बाद नियुक्त किए गए पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति हेतु

यदि श्रेणी–III कर्मचारियों, जिनका वेतनमान लिपिक से कम है, या श्रेणी–IV कर्मचारियों में सें पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है; (i) 10+2 प्रथम श्रेणी अथवा स्नातक या इसके समकक्ष; और (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; "।	श्रेणी III के किसी भी पद, जिसका वेतनमान लिपिक से कम हो, या चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव या ऐसे श्रेणी–III तथा IV पदों पर संयुक्त अनुभव।

शकुन्तला जाखु,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार.

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

SECRETARIAT ESTABLISHMENT ORGANIZATION (IN ESTABLISHMENT-I BRANCH)

Notification

The 31st October, 2014

No. G.S.R. 47/Const./Art. 309/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely—

1. These rules may be called the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III), Haryana Amendment Rules, 2014.

2. In the Punjab Civil Secretariat (State Service Class III) Rules, 1952, in rule 5, for item (a), the following item shall be substituted, namely :--

"(a) Clerk

For direct recruitment or transfer

If appointed direct or by transfer from amongst officials employed in Government Departments other than the Haryana Civil Secretariat,

(i) 10+2 with 1st Division or Graduate or its equivalent; and

(ii) Knowledge of Hindi/Sanskrit up to Matric Standard;

For Ex-Servicemen:

10+2 with 1st Division or fifteen years Service in Army and Army Certificate Class I;

For promotion of eligible persons appointed before 07.11.2013.

If appointed by promotion from amongst Class III employees whose scale of pay is less than that of a Clerk or Class IV employees; (i) Matric; and (ii) Knowledge of Hindi/Sanskrit up to Matric Standard;	Five years' experience of working of any Class-III posts whose scale of pay is less than that of a Clerk or any Class-IV post or combined experience on such Class-III and IV posts.

For promotion of eligible persons appointed on or after 07.11.2013.

If appointed by promotion from amongst Class III employees whose scale of pay is less than that of a Clerk or Class IV employees; (i) 10+2 with 1st Division or Graduate or its equivalent; and (ii) Knowledge of Hindi/Sanskrit up to Matric Standard;".	Five years' experience of working of any Class-III posts whose scale of pay is less than that of a Clerk or any Class-IV post or combined experience on such Class-III and IV posts.

SHAKUNTLA JAKHU,.
Chief Secretary to Government, Haryana.

52701—L.S.—H.G.P., Chd.